



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226567
CG-DL-E-13042021-226567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1468]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1468]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1579(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब डिविशनल मजिस्ट्रेट, ऑफिस, डिंडोरी, डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी (NH45) विस्तार के कि.मी. 0 से 53.1 मध्य प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH45 विस्तार (सगरटोला से कबीरचबूतरा मार्ग) पर चैनेज कि.मी. 0+000 से 53+100 कि.मी.पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	सुब डिविशनल मजिस्ट्रेट , डिंडोरी, डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH45 के कि.मी. 0 से 53.1 तक	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	<table><tr><td rowspan="2">बजाग</td><td>1</td><td>बरगाँव माल</td></tr><tr><td>2</td><td>गन्नागुढा</td></tr></table>	बजाग	1	बरगाँव माल	2	गन्नागुढा
बजाग	1	बरगाँव माल								
	2	गन्नागुढा								

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/43/2018-19]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1579(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 0 to 53.1 of Sub divisional magistrate office, Dindori, District Dindori (NH45) Extn. in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH45 Extn. (Sagartola to Kabirchabutra Road) Chainage From Km. 0+000 to 53+100 Km. in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub divisional magistrate , Dindori , District Dindori	0 KM. To 53.1 KM.	MADHYA PRADESH	DINDORI	BAJAG	
						1Bargaon Mal
						2Ganna guda

[F. No. CE-RO BPL/30010/43/2018-19]

RAJESH GUPTA, Director